रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266347
CG-DL-E-24092025-266347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947
No. 620] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 704(अ).— अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: वुडन, जीआरपी/एफआरपी और समान सामग्री) नियम, 2025 का प्रारूप को, जिसे केंद्र सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यझ) के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस दिन इस अधिसूचना की, राजपत्र में यथा प्रकाशित, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (आईडब्ल्यूटी-II), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या

dircoord2-psw@gov.in **और** psw-usiwt2@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: लकड़ी, जीआरपी/एफआरपी और समान सामग्री) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रुप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 **का** 24) अभिप्रेत है;

(ख) "वर्गीकरण समिति" से अधिनियम की धारा 3 के खंड (यण) के अर्थ में एक मान्यता प्राप्त संगठन अभिप्रेत है, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों के संघ का सदस्य है।

(ग) "अनुकूल मौसम" से पवन और समुद्र की अनुकूल दशा दर्शाने वाली अवधि अभिप्रेत है, जैसा कि भारत के नौवहन महानिदेशालय या केंद्र सरकार द्वारा विहित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट जाए;

(घ) "विषम मौसम" से पवन और समुद्र की विषम दशा को दर्शाने वाली अवधि अभिप्रेत है, जैसा भारत के नौवहन महानिदेशालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमश: वही अभिप्रेत होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. **कार्यक्षेत्र और प्रयोग–** (1) निम्नलिखित यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों को उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) पूर्णतः या अधिकांशतः (संरचनात्मक भार का 40% या अधिक) वुडन से निर्मित जलयान;

(ख) पूर्णतः या अधिकांशतः (संरचनात्मक भार का 40% या अधिक) कांच-प्रबलित प्लास्टिक (जीआरपी), फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी), या अन्य समरूप मिश्रित सामग्रियों से निर्मित जलयान, जिसमें उच्च गति वाले जलयान, लैंडिंग जलयान, होवरक्राफ्ट, हाइड्रोफॉइल और स्माल वॉटर लेन ट्विन हल (एसडब्ल्यूएटीएच) जलयान शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

परन्तु यह कि ये नियम अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी: प्लेजर क्राफ्ट एंड कैनल क्रूज बोट्स) नियम, 2025 के अंतर्गत आने वाले प्लेजर क्राफ्ट एंड कैनल क्रूज बोट्स पर लागू नहीं होंगे।

(2) निम्नलिखित नियम और उसके बाद के संशोधन उपनियम (1) में विशेष श्रेणी के जलयानों के रूप में नामित जलयानों पर लागू होंगे-

(क) अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022;

(ख) अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022;

(ग) अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022;

(घ) अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022;

(ङ) अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2022;

(च) अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और सिग्नल्स) नियम, 2022;

(छ) अंतर्देशीय (चालन दल) नियम, 2022;

(ज) अंतर्देशीय जलयान (बीमा, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के दायित्व और देयता की परिसीमा) नियम, 2022;

(झ) अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) नियम, 2024; और

(ञ) अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और आशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन), नियम 2025।

(3) डिजाइन और निर्माण के लिए मानक-

(क) अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024, यथा संशोधित, अध्याय II से IV और अध्याय IX में निहित प्रावधान, जहाँ तक ये उपनियम (1) में विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में निर्दिष्ट जलयान के लिए लागू हैं।

(ख) वैकल्पिक रूप से, उपर्युक्त नियमों के किसी भी प्रावधान के स्थान पर, नामित प्राधिकारी निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट मानकों पर विचार कर सकता है:

(i) भारतीय मानक ब्यूरो या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन; या

(ii) एक वर्गीकरण सोसायटी

(ग) स्वामी इन नियमों के प्ररूप संख्या 1 में, परिकल्पना और संनिर्माण के लिए अपनाए गए मानकों के संबंध में एक घोषणा, नामित प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रस्तुत करेगा, जैसा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए।

(4) उप-नियम (1) के अनुसरण में श्रेणी के जलयान के रूप में चिन्हित जलयान को, इन जलयानों पर लागू वर्गीकरण के आधार पर, अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के नियम 4 और इसके उत्तरवर्ती के संशोधनों के अनुसार, प्राधिकारी के सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण के तहत परिकल्पना, संनिर्माण और अनुरक्षण किया जाएगा:

परन्तु यह कि, यदि जलयान का स्वामी स्वेच्छा से जलयान का संनिर्माण और अनुरक्षण किसी वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत कराने का निर्णय लेता है, तो ऐसी वर्गीकरण सोसायटी द्वारा किया गया सर्वेक्षण, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यथा प्रत्यायोजित नामित प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा।

(5) लकड़ी, जीआरपी, एफआरपी या समान सामग्रियों से संनिर्मित और इन नियमों के अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से पहले प्रचालित किए जा रहे सभी विद्यमान जलयान, यथासंशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के नियम 5 का अनुपालन करेंगे।

(6) अन्य विशेष श्रेणी नियमों और विनियामक ढाँचों के साथ सामंजस्य-

(क) जहाँ किसी जलयान को इन नियमों के अंतर्गत विशेष श्रेणी पोत के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है और वह अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अन्य विशेष श्रेणी नियमों द्वारा भी शासित है, वहाँ उसे उप-धारा (2) के अंतर्गत उल्लिखित नियमों के सभी लागू प्रावधानों और उन विशेष श्रेणी नियमों का, जहाँ तक वे असंगत न हों, अनुपालन करना होगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्रमुख कार्यक्षमता, जोखिम प्रोफ़ाइल और निर्माण के आधार पर जलयान के मुख्य वर्गीकरण का निर्धारण करेगा; तथापि, फिटनेस प्रमाणपत्र में अन्य सभी विशेष श्रेणी नियमों और इन जलयानों पर उनके लागू होने की सीमा का उल्लेख होगा।

(ग) इन नियमों के लागू मानकों के अपेक्षाकृत अधिक कठोर मानक तब तक लागू रहेंगे जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा छूट न दी जाए।

4. **प्रमाणन और वैधानिक आवश्यकताएँ-** नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसरण में विशेष श्रेणी जलयान के रूप में चिन्हित जलयान को निम्नलिखित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा: -

(1) सुरक्षा उपाय और लोड लाइन अपेक्षाएं -

(क) जलयान को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उसके प्रचालन क्षेत्र के अनुसार सुरक्षा गियर और उपकरण प्रदान किए जाएँगे।

(ख) जलयान की अधिकतम वहन क्षमता राज्य सरकार द्वारा विहित मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(i) उत्प्लावन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा लोड लाइन या लोड लाइन सीमाओं का विनिर्देशन;

(ii) ऐसे जलयान की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के तहत अन्यत्र उपबंधित शर्तों के अतिरिक्त आवश्यक अन्य शर्तें।

(ग) जलयान की अधिकतम वहन क्षमता को फिटनेस प्रमाणपत्र में प्रमाणित किया जाएगा।

(घ) नामित प्राधिकारी, इन जलयानों के संबंध में, टकराव बल्कहेड की अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकता है, परन्तु कि वैकल्पिक सुरक्षा उपाय, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त और उचित समझा जाए, समतुल्य या उन्नत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विधिवत रूप से लागू किए जाएंगे।

(2) अधिकारियों की नियुक्ति और फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करना-

राज्य सरकार, अधिनियम के अध्याय VII और इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ उतनी संख्या में अधिकारियों को, जैसा आवश्यक हो, नियुक्त या प्राधिकृत करेगी-

(क) प्राधिकृत अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :

(i) इन जलयानों के उपयुक्तता प्रमाणन हेतु आवेदन प्राप्त करना और उन पर कार्रवाई करना;

(ii) निरीक्षण और सर्वेक्षण करना;

(iii) फिटनेस प्रमाणपत्र जारी, निलंबित या रद्द करता है; और

(iv) इन नियमों के अंतर्गत अस्वीकृत करने, निलंबित करने, रद्द करने या प्रवर्तन के संबंध में की गई अन्य कार्रवाइयों के कारणों को रिकॉर्ड करेगा और इसे बरकरार रखेगा।

(ख) इन नियमों के साथ एकरूपता हेतु प्ररूप संख्या 2 में फिटनेस प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का एक आदर्श प्रपत्र और प्ररूप संख्या 3 में फिटनेस प्रमाणपत्र, राज्य सरकारों के संदर्भ एवं उसके द्वारा अपनाए जाने हेतु संलग्न है।

(ग) किसी भी यांत्रिक चालित अंतर्देशीय जलयान के स्वामी, संचालक या मास्टर द्वारा इन नियमों के प्ररूप 2 के अनुसार आवेदन किए जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जलयान:

(i) निर्धारित सुरक्षा, संरचनात्मक और स्थिरता मानकों को पूरा करता है;

(ii) अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है;

(iii) उस पर यथा लागू उपयुक्त भार रेखा चिह्न अंकित हैं; और

(iv) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है,

(v) इन नियमों के प्ररूप 3 के अनुसार, जलयान की वहन क्षमता दर्शाते हुए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(घ) फिटनेस प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी किया जाएगा जैसा राज्य सरकार विहित करे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी:

(i) वैध सर्वेक्षण और बीमा प्रमाणपत्र धारक होना;

(ii) लागू फीस का भुगतान;

(iii) नवीनीकरण की प्रक्रियाएँ;

(iv) निरीक्षण अपेक्षाएं, जिनमें वार्षिक या अन्य आवधिकता वाली निरीक्षण अपेक्षाएं शामिल हैं; जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए,और

(v) प्रचालन संबंध प्रतिबंध।

(ङ) राज्य सरकार या नामित प्राधिकरण, इन जलयानों के प्रचालन क्षेत्र जोखिम आकलन के आधार पर अपेक्षाओं को अधिसूचित करेंगे, जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (राष्ट्रीय नदी यातायात और नौचालन प्रणाली) नियम, 2025 में निर्दिष्ट है

(च) इन नियमों हेतु एकरूपता के लिए प्ररूप संख्या 2 में फिटनेस प्रमाणपत्र और प्ररूप संख्या 3 में फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का एक आदर्श प्रपत्र राज्य सरकारों के संदर्भ और उसके द्वारा अपनाए जाने के लिए संलग्न है।

(छ) एकाधिक विशेष श्रेणी नियमों के लिए एकल फिटनेस प्रमाणपत्र-

जहाँ कहीं भी कोई जलयान, एक से अधिक विशेष श्रेणी जलयान नियमों के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके संबंध में एक ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र अपेक्षाओं को शामिल करेगा और इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (6) की अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

(3) अंतर-राज्यीय प्रचालन और शक्तियाँ/दायित्व-

(क) मूल राज्य को विशेष श्रेणी के जलयान के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने का अनन्य प्राधिकार होगा।

(ख) मूल राज्य द्वारा जारी वैध फिटनेस प्रमाणपत्र धारक जलयानों को दूसरे राज्य से डुप्लिकेट या अलग प्रमाणीकरण की अपेक्षा के बिना, किसी अन्य राज्य में प्रचालन की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

(i) मूल राज्य द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र उस राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसमें जलयान का प्रचालन किया जाना अभिप्रेत है; और

(ii) प्रचालन के अभिप्रेत राज्य को पूर्व सूचना दी जाती है, और उस राज्य द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का विधिवत अनुपालन किया जाता है।

(ग) मूल राज्य द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्रों के सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए अंतर-राज्यीय डेटा विनिमय तंत्र, इस अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) नियम 2024 के

तहत विकसित 'जलयान' और 'नाविक' - केंद्रीय डेटाबेस पोर्टल के माध्यम से होगा, जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (च), धारा 22, धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ण) और (ययक) और धारा 108 में निहित उपबंध के अनुसार राज्यों में विशेष श्रेणी के जलयानों के निर्बाध संचालन को सक्षम करेगा।

(4) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण-

(क) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई सर्वेक्षक, निर्धारित सर्वेक्षण के प्रयोजन के अलावा, किसी भी समय पर निरीक्षण के प्रयोजनार्थ किसी विशेष श्रेणी के जलयान पर जा सकता है। ऐसे निरीक्षण में निम्नलिखित की जाँच में शामिल हो सकता है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं :

(i) पतवार,

(ii) उपस्कर,

(iii) मशीनरी, और

(iv) जलयान का कोई भाग या संपत्ति।

(ख) जलयान का स्वामी, प्रचालक, अभिकर्ता, मास्टर, या इसका प्रभारी कोई भी व्यक्ति:

(i) निरीक्षण या सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षक को सभी आवश्यक पहुँच और सुविधाएँ प्रदान करेगा, और

(ii) जलयान, उसकी मशीनरी, उपस्कर, या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी सर्वेक्षक या कोई प्राधिकृत अधिकारी यथोचित रूप से अपेक्षा करे।

(5) अनुपालन का प्रवर्तन और फिटनेस प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्दीकरण -

(क) इन नियमों के अनुसरण में, विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिन्हित किसी जलयान को, राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

(ख) यदि इन नियमों के अंतर्गत विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिन्हित किसी यंत्रीकृत अंतर्देशीय जलयान में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं पाया जाता है, तो राज्य सरकार जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या प्रभारी व्यक्ति को सुधार का नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें अनुपालन न करने का स्वरूप और वह समय सीमा निर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा सुधार पूरा किया जाना चाहिए।

(ग) यदि अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस में निर्दिष्ट समय के बाद भी गैर-अनुपालन जारी रहता है, तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई और लिखित में कारण दर्ज कराने का अवसर देने के पश्चात, इन नियमों के अंतर्गत ऐसे जलयान को दिए गए फिटनेस प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकती है।

(घ) कोई जलयान जिसका फिटनेस प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वह:

(i) तब तक प्रचालन बंद रखेगा जब तक कि निलंबन वापस नहीं ले लिया जाता; या

(ii) रद्दीकरण की स्थिति में, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार नया फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने तक प्रचालन बंद रखेगा।

(6) अपील-

राज्य सरकार इन नियमों के अधीन शिकायत निवारण के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी। व्यथित आवेदक, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने, निलंबित करने या रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

5. जलयान के स्वामी के दायित्व -

(1) जलयान का सुरक्षित प्रचालन

सुरक्षित प्रचालन शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, जलयान का स्वामी राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट प्रचालन शर्तों का पालन करेगा।

(2) अनुपालन न करने पर शास्तियां

(क) जलयान का स्वामी इन नियमों के अतिरिक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी संगत उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अंतर्देशीय जल में प्रचालन हेतु इन जलयानों के लिए निम्नलिखित वैध दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(ii) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र।

(iii) बीमा पॉलिसी।

(iv) फिटनेस प्रमाणपत्र।

(v) प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्र।

(ख) स्वामी को उपरोक्त सभी अपेक्षित दस्तावेज हर समय उपलब्ध कराने होंगे और अधिनियम के संगत उपबंधों के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों या प्राधिकारियों के समक्ष मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

(ग) इन नियमों के किसी भी उपबंध का पालन न करने पर स्वामी पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 87 के तहत लगाए जा सकने वाली शास्ति, जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

6. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति- केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 110 के अधीन उपबंधों के अनुसार इन नियमों के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी।

प्ररूप नं. 1

स्वामी द्वारा जलयान के परिकल्पना और संनिर्माण मानक संबंधी घोषणा

सेवा में,
सर्वेक्षक/नामित प्राधिकारी,
[राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुद्री बोर्ड अथवा अधिकृत संस्था का नाम लिखें],
[पता लिखें]।

दिनांक: [तिथि/माह/वर्ष]________________

विषय: जलयान के परिकल्पना और संनिर्माण मानकों के अनुपालन संबंधी घोषणा

मैं, ________________, पुत्र/पुत्री ______________[पिता/माता का नाम], आयु ______________[आयु], निवासी __________________________ नीचे वर्णित जलयान का/की स्वामी होने के नाते, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ:

1. जलयान का विवरण:

(i). जलयान का नाम: __________________________

(ii). जलयान का प्रकार [जैसे, यात्री, मालवाहक, ड्रेजर, सर्वेक्षण, आदि]: _________________

(iii). पतवार पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो): ____________________

(iv). निर्माण सामग्री [जैसे, स्टील, जीआरपी/एफआरपी, लकड़ी, आदि]: __________________

(v). कुल लंबाई (एलओए): _____________ मीटर

(vi). चौड़ाई (बी): _____________ मीटर

(vii). गहराई (डी): _____________ मीटर

(viii). ड्राफ्ट: _____________ मीटर

(ix). निर्माण वर्ष [वर्ष]: _____________

(x). निर्माण का स्थान [कार्यशाला/शिपयार्ड का नाम और पता]: _____________

(xi). निर्माता का नाम, [यदि लागू हो]: _____________

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जलयान का परिकल्पना और संनिर्माण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया गया है: -

   ………………………...

3. मैं प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और वैधानिक डिज़ाइन एवं निर्माण मानकों के अनुपालन की पूरी ज़िम्मेदारी लेता/लेती हूँ। मैं इससे अवगत हूँ कि किसी भी गलत बयान या मिथ्या प्रस्तुति के परिणामस्वरूप अधिनियम के अंतर्गत शास्ति लगाई जा सकती है, पंजीकरण रद्द किया जा सकता है अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

4. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि जलयान समुद्र में चलने योग्य स्थिति में बना रहे और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।

स्थान: [शहर/नगर]_____________

दिनांक: [दिन/माह/वर्ष] _____________

स्वामी के हस्ताक्षर: ____________________

स्वामी का नाम: ______________

मोबाइल नंबर: ______________

ईमेल आईडी: ______________

पता: ______________________________

प्ररूप सं. 2

फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

(अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत)

सेवा में:
प्राधिकृत अधिकारी
[पत्तन/राज्य आईडब्ल्यूटी/एमबी का नाम]
[पता]

1. जलयान और स्वामित्व का विवरण

मद	विवरण
जलयान का नाम	______________________________
पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	______________________________
स्वामी/प्रचालक का नाम	______________________________
स्वामी/प्रचालक का पता	______________________________
संपर्क विवरण	______________________________

2. जलयान विनिर्देशन

मद	विवरण
जलयान का प्रकार	☐ यात्री ☐ मालवाहक ☐ अन्य: ___________
पतवार सामग्री	☐ स्टील ☐ लकड़ी ☐ जीआरपी ☐ एफआरपी ☐ मिश्रित ☐ अन्य: __________
प्रणोदन प्रकार	☐ ओबीएम ☐ इनबोर्ड इंजन ☐ डीजल/पेट्रोल ☐ विद्युत-बैटरी चालित ☐ सीएनजी/एलएनजी☐हाइड्रोजन☐मेथनॉल☐अन्य:
इंजन का प्रकार	_______
आयाम (लंबाई × चौड़ाई × गहराई)	_______ मीटर × _______ मीटर × _______ मीटर
ड्राफ्ट	_______ मीटर
निर्माण वर्ष	_______
इंजन का विवरण (यदि लागू हो)	______________________________
प्रचालन क्षेत्र	: ________

आवेदन का प्रयोजन

□ प्रारंभिक प्रमाणन

□ प्रमाणपत्र संख्या __________ का नवीनीकरण

4. विशेष श्रेणी का अनुमोदन:

(i). ……………………………….. (उदाहरण: सामग्री आधारित)

(ii). ……………………………… (उदाहरण: ईंधन आधारित)

(iii). ……………………………… (उदाहरण: स्वायत्त/अर्धस्वायत्त/अन्य)

5. घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं, और मैं अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी। सभी आवश्यक सुरक्षा उपस्कर, मशीनरी और प्रचालन की स्थितियाँ लागू मानकों के अनुरूप हैं।

स्वामी/प्रचालक के हस्ताक्षर: ______________________

दिनांक: ___ / ___ / 20___

स्थान: __________________

प्ररूप सं. 3

विशेष श्रेणी के जलयान के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र

(अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत जारी)

प्रमाणपत्र संख्या: ___________________________

जारी करने की तिथि: ___ / ___ / 20___

वैधता: ___ / ___ / 20___

जारीकर्ता प्राधिकारी: _________________________

1. जलयान की पहचान

मद विवरण

पोत का नाम ____________________________________

पंजीकरण संख्या ____________________________________

स्वामी/प्रचालक का
नाम और पता ____________________________________

पतवार सामग्री ☐ स्टील ☐ लकड़ी ☐ जीआरपी ☐ एफआरपी ☐ मिश्रित ☐ अन्य: _________

प्रणोदन प्रकार ☐ ओबीएम ☐ इनबोर्ड इंजन

इंजन का प्रकार ☐ डीजल/पेट्रोल ☐ विद्युत-बैटरी चालित ☐ सीएनजी/एलएनजी ☐ हाइड्रोजन ☐ मेथनॉल ☐ अन्य: _________

जलयान का प्रकार ____________________________________

प्रचालन क्षेत्र ____________________________________

2. मुख्य विवरण

मद	विवरण
कुल लंबाई (एलओए	_______ मीटर
चौड़ाई	_______ मीटर
गहराई	_______ मीटर
ड्राफ्ट	_______ मीटर
इंजन का प्रकार और शक्ति	____________________________________
यात्री क्षमता (यदि कोई हो)	________ व्यक्ति
कार्गो क्षमता (यदि कोई हो)	________ मीट्रिक टन

3. सुरक्षा अनुपालन और लोड लाइन

जलयान का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित के अनुरूप पाया गया:

(क) वर्गीकरण के अनुसार सुरक्षा उपकरण अपेक्षाएँ

(ख) उत्प्लावन और प्लवन की पर्याप्तता

(ग) लोड लाइन चिह्नों का लगाए गए हैं और उनका सत्यापन किया गया है (☐ जी हाँ ☐ लागू नहीं)
(घ) इंजन और प्रणोदन प्रणालियाँ (जहाँ लागू हो)
(ङ) नौचालन और संरचनात्मक सुरक्षा
(च) अग्नि और जीवन रक्षक उपकरण

4. प्रचालन की शर्तें (यदि कोई हों):

☐ अनुकूल मौसम/दिन के उजाले में प्रचालन तक सीमित

☐ अधिकतम अनुमत व्यक्ति: ________

☐ अधिकतम कार्गो भार: ________ मीट्रिक टन

☐ प्रचालन क्षेत्र: ____________________ तक सीमित

☐ अन्य: ____

5. प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि ऊपर वर्णित जलयान का निरीक्षण किया गया है और यह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

श्रेणी	मानदंड	विवरण/अभ्युक्ति
(i) सामग्री-आधारित	☐ लकड़ी ☐ जीआरपी ☐ एफआरपी ☐ अन्य: ________	
(ii) ईंधन-आधारित	☐ विद्युत-बैटरी चालित ☐ सीएनजी/एलएनजी ☐ हाइड्रोजन ☐ मेथनॉल ☐ अन्य:	
(iii) प्रौद्योगिकी-आधारित	☐ स्वायत्त ☐ अर्ध-स्वायत्त ☐ रिमोट-संचालित ☐ अन्य: ________	
(iv)……………		

सर्वेक्षक का नाम: ____________________________

पदनाम: ________________________________

हस्ताक्षर और मुहर: __________________________

दिनांक: ___ / ___ / 20___

नोट: यह प्रमाणपत्र हर समय जलयान पर रखा जाएगा। पूर्व सर्वेक्षण और अनुमोदन के बिना संरचना, मशीनरी या कन्फिगरेशन में कोई भी परिवर्तन किए जाने से यह प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएगा।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-II-12011/6/2025-आईडब्ल्यूटी-II]

पी. के. रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

G.S.R. 704(E).— The draft of the Inland Vessels (Special Category Vessels: Wooden, GRP/FRP and Similar Material) Rules, 2025, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 42 and clause (a) of sub-section (1) of section 98 read with clause (zh) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, is hereby published as required by sub-section (1) of section 106 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT-II), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 545, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dircoord2-psw@gov.in and psw-usiwt2@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Inland Vessels (Special Category Vessels: Wooden, GRP/FRP and Similar Materials) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires -
(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);
(b) “classification society” means a recognized organization within the meaning of clause (zo) of section 3 of the Act, which is a member of International Association of Classification Societies.
(c) "fair season" means the period showing fair conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or by such other authority as may be prescribed by Central Government;
(d) “foul season” means the period showing foul conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or by such other authority as may be prescribed by Central Government.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope and application.– (1) The following mechanically propelled inland vessels shall be classified as special category vessel for the purposes of these rules, on the basis of their construction material-

(a) vessel constructed, whether wholly or substantially (40% or more of the structural weight) of wood;

(b) vessel constructed, whether wholly or substantially (40% or more of the structural weight) of glass-reinforced plastic (GRP), fibre-reinforced plastic (FRP), or other analogous composite materials, including but not limited to high-speed crafts, landing crafts, hovercrafts, hydrofoils, and small waterplane area twin hull (SWATH) vessels;

Provided that these rules shall not apply to Pleasure Craft and Canal Cruise Boats covered under the Inland Vessels (Special Category: Pleasure Craft and Canal Cruise Boats) Rules, 2025.

(2) The following rules and its subsequent amendments shall apply to the vessels designated as special category vessels in sub rule (1)-

(a) Inland Vessels (Registration and Other Technical Issues) Rules, 2022;

(b) Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022;

(c) Inland Vessels (Firefighting appliances) Rules, 2022;

(d) Inland Vessels (Life savings appliances) Rules, 2022;

(e) Inland Vessels (Prevention and containment of pollution) Rules, 2022;

(f) Inland Vessels (Safe Navigation, communication, and signals) Rules, 2022;

(g) Inland Vessels (Manning) Rules, 2022;

(h) Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022;

(i) Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024; and

(j) Inland Vessels (Prior Approval for Alteration and Modification), Rules 2025.

(3) Standards for design and construction-

(a) the provisions contained in Chapters II to IV and Chapter IX of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended, insofar as they are applicable for the vessel designated as special category vessel in sub rule (1).

(b) alternatively, in lieu of any of the provisions in above mentioned rules, designated authority may consider the standards, as specified by the:

(i) Bureau of Indian Standards or International Standards Organization; or

(ii) a classification society

(c) The owner shall furnish a declaration regarding standards for design and construction followed, in Form No. 1 of these rules to the designated authority or such person or organization, as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

(4) The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (1), shall be designed, constructed, and maintained under the survey and supervision of the authority, in accordance with rule 4 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and its subsequent amendments, based on the categorization applicable to these vessels:

Provided that, in case the owner of the vessel willingly decides to have the vessel constructed and maintained under the survey of a Classification Society, the survey carried out by such Classification Society shall be in addition to the survey carried out by the designated authority or by such person or organization as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

(5) All existing vessels constructed of wooden, GRP, FRP or similar materials and operating before the date of final publication of these rules shall comply with rule 5 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended.

(6) Harmonization with other special category rules and regulatory frameworks-

(a) where a vessel is designated as a special category vessel under these rules and is also governed by other special category rules framed under the Act, it shall comply with all applicable provisions of rules mentioned under sub-section (2) and those special category rules to the extent they are not inconsistent.

(b) the competent authority shall determine the principal classification of the vessel based on dominant functionality, risk profile, and construction; however, the certificate of fitness shall have mention of all other special category rules and their extent of application on these vessels.

(c) the more stringent of applicable standards of these rules shall prevail unless exempted by the designated authority.

4. Certification and statutory requirements. – The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (1) of rule 3, shall ensure following compliances: -

(1) Safety Measures and Load line Requirements-

(a) the vessel shall be provided with safety gear and equipment in accordance with its area of operation as prescribed by the respective State Government.

(b) the maximum carrying capacity of the vessel shall be determined by such criteria as may be prescribed by the State Government, which may include but not limited to:

(i) the specification of a safety load line or load line limits to ensure buoyancy;
(ii) other condition necessary to ensure the safe voyage of such vessel, in addition to those provided elsewhere under the Act.

(c) the maximum carrying capacity of the vessel shall be endorsed in the certificate of fitness.

(d) the designated authority may, in respect of these vessels, grant exemption from the requirement of collision bulkheads, provided that alternate safety measures, deemed adequate and appropriate by the authority, are duly implemented to ensure equivalent or enhanced safety standards.

(2) Appointment of officers and grant of certificate of fitness-

The State Government shall appoint or authorize such number of officers, as may be necessary for the purpose of implementation and enforcement of the provisions under the Chapter VII of the Act and these rules-

(a) The authorized officer shall be empowered to:

(i) receive and process applications for fitness certification of these vessels;
(ii) conduct inspections and surveys;
(iii) issue, suspend, or cancel certificates of fitness; and

(iv) record and maintain reasons for refusal, suspension, cancellation, or other enforcement actions taken under these rules.

(b) A model format of the application for certificate of fitness in Form No. 2 and the certificate of fitness in Form No. 3 is annexed for reference and adoption by State Governments for uniformity with these rules.

(c) Upon an application made by the owner, operator, or master of any mechanically propelled inland vessel, as per Form 2 of these rules, the authorized officer shall, upon being satisfied that the vessel:

(i) meets the prescribed safety, structural, and stability standards;
(ii) is equipped with the requisite safety equipment;
(iii) bears appropriate load line markings, as applicable; and
(iv) complies with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021 and these rules,

(v) issue a certificate of fitness indicating the carrying capacity of the vessel, as per Form 3 of these rules.

(d) The certificate of fitness shall be issued subject to fulfillment of such conditions as may be prescribed by the State Government, which may include but not limited to:

(i) possession of a valid survey and insurance certificate;
(ii) payment of applicable fees;
(iii) procedures for renewal;
(iv) inspection requirements, including annual or such other periodicity as may be specified by the State Government; and
(v) operational restrictions.

(e) The State Government or designated authority shall notify requirements based on operational area risk assessments of these vessels as specified in Inland Vessels (National River Traffic and Navigation System) Rules, 2025 while issuing certificate of fitness.

(f) A model format of the application for certificate of fitness in Form No. 2 and the certificate of fitness in Form No. 3 is annexed for reference and adoption by State Governments for uniformity with these rules.

(g) Single certificate of fitness for multiple special category rules-

Wherever a vessel falls within the jurisdiction of more than one set of Special Category Vessel Rules, a single Certificate of Fitness shall be issued in respect thereof. This certificate shall incorporate the requirements and in accordance with sub rule (6) of rule 3 of these rules.

(3) Inter-State Operation and powers/responsibilities-

(a) the home State shall be the sole authority for issuing the certificate of fitness for a special category vessel.

(b) such vessels holding a valid certificate of fitness issued by the home State shall be permitted to operate in any other State, without requiring a duplicate or separate certification from other State, provided that:

(i) the certificate of fitness issued by the home State is accepted by the State in which the vessel is intended to be operated; and
(ii) prior intimation is given to the intended State of operation, and any conditions imposed by that State are duly complied with.

(c) Inter-state data exchange mechanism for the validation and verification of Certificates of Fitness issued by the home State, shall be through 'Jalyan' and 'Navic' - Central database portal, developed under the Act and Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules 2024, enabling seamless operation of special category vessels across States as per the provision contained in clause (f) of section 3, section 22, clauses (a), (o) and, (zza) of sub-section (2) of section 106, and section 108 of the Act.

(4) Inspection by Surveyor-

(a) a surveyor appointed under the Act, other than for the purpose of a scheduled survey, may at any reasonable time, board a special category vessel for the purpose of inspection. Such inspection may include, but not be limited to, examination of:

(i) the hull,
(ii) equipment,
(iii) machinery, and
(iv) any part or properties of the vessel.

(b) the owner, operator, agent, master, or any person in charge of the vessel shall:

(i) provide all necessary access and facilities to the surveyor for conducting the inspection or survey, and
(ii) furnish such information regarding the vessel, its machinery, equipment, or any part thereof, as the surveyor or any authorized officer may reasonably require.

(5) Enforcement of Compliance and Suspension or Cancellation of Certificate of Fitness-

(a) a vessel identified as a special category vessel pursuant to these rules shall obtain the certificate of fitness within a period twelve months from the date of notification of these rules in the Official Gazette.

(b) if any mechanically propelled inland vessel identified as a special category vessel under these rules, is found to be in non-compliance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, the State Government may issue a notice of rectification to the owner, operator, master, or person in charge of the vessel, specifying the nature of non-compliance and the time within which such rectification must be completed.

(c) in the event that the non-compliance continues beyond the time specified in the notice issued under sub-section (1) of section 46 of the Act, the State Government may after giving the concerned person an opportunity to be heard and recording reasons in writing, suspend or cancel the Certificate of Fitness granted to such vessel under these rules.

(d) a vessel whose Certificate of Fitness has been suspended or cancelled under sub-section (2) of Section 46 of the Act shall:

(i) cease to operate until such suspension is revoked; or
(ii) in the event of cancellation, cease to operate until a new Certificate of Fitness is granted in accordance with the provisions of this Chapter.

(6) Appeal-
State Government shall appoint an appellate authority for grievance redressal under these rules. An aggrieved applicant may file an appeal against the decision of refusal, suspension or cancellation of fitness certificate to the designated appellate authority of the State Government within 30 days from the date of communication of such order.

5. Obligations of the Owner of vessel. -
(1) Safe operation of vessel
Subject to compliance with safe operating conditions, the Owner shall adhere to the operational conditions specified in the certificate of fitness granted by the authorized officer of State Government.

(2) Penalties for Non-Compliance

(a) The owner of the vessel shall ensure compliances of all relevant provisions of the Act and rules framed there under applicable to them in addition to these rules. The following valid documents are mandatory for these vessels for plying in Inland Waters:

(i) Certificate of Registration.
(ii) Survey Certificate.
(iii) Insurance Policy.
(iv) Fitness Certificate.
(v) Prevention of Pollution Certificate.

(b) The owner shall make available all the above requisite documents at all times and shall produce the same on demand to the officers or authorities appointed by the State Government under relevant provisions of the Act.

(c) Failure to comply with any provision of these rules shall render the Owner liable to penalties, fines, or other actions as may be imposed under Section 87 of the Inland Vessels Act, 2021.

6. Power to Remove Difficulties. - The Central Government may, by order in the Official Gazette, issue directions to remove any difficulty in implementation of these rules as per provision under section 110 of the Act

Form No. 1

DECLARATION BY OWNER REGARDING DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD FOR THE VESSEL

To
The Surveyor/Designated Authority,
[Insert Name of State/UT Maritime Board or Authorized Entity],
[Insert Address].

Date: [DD/MM/YYYY]________________

Subject: Declaration on Compliance with Design and Construction Standards of the Vessel

I, _______________, son/daughter of ________________[Father's/Mother's Name], aged _____________[Age], residing at ________________________, being the owner of the vessel described below, hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. Vessel Details:

   (i). Name of Vessel: ________________________

   (ii). Type of Vessel [e.g., Passenger, Cargo, Dredger, Survey, etc.]: _______________

   (iii). Hull Identification Number (if available): __________________

   (iv). Material of Construction [e.g., Steel, GRP/FRP, Wood, etc.]: ________________

   (v). Length Over All (LOA): ____________ meters

   (vi). Breadth (B): ____________ meters

   (vii). Depth (D): ____________ meters

   (viii). Draft: ____________ meters

   (ix). Year of Construction [YYYY]: ____________

   (x). Place of Construction [Workshop/Shipyard Name and Address]: ____________

   (xi). Builder's Name, [If applicable]: ____________

2. I hereby declare that the above-mentioned vessel has been designed and constructed in accordance following standards: -

   ………………………...
3. I undertake full responsibility for the accuracy of the information provided and compliance with the statutory design and construction standards. I am aware that any false statement or misrepresentation may lead to penalties, cancellation of registration, or other legal consequences under the Act.

4. I shall ensure that the vessel is maintained in seaworthy condition and will not undergo any structural alterations or modifications without obtaining prior approval from the competent authority.

Place: [City/Town]____________
Date: [DD/MM/YYYY] ____________

Signature of the Owner: __________________
Name of the Owner: ____________
Mobile Number: ____________
Email ID: ____________
Address: __________________________

Form No. 2

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF FITNESS
(Under Section 43(2) of the Inland Vessels Act, 2021)

To:
The Authorised Officer
[Name of Port/State IWT/MB]
[Address]

1. Vessel and Ownership Details

Particular	Details
Name of the Vessel	____________________________________
Registration Number (if any)	____________________________________
Name of Owner/Operator	____________________________________
Address of Owner/Operator	____________________________________
Contact Details	____________________________________

2. Vessel Specifications

Particular	Details
Type of Vessel	☐ Passenger ☐ Cargo ☐ Others: __________
Hull Material	☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: _________
Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
Engine Type	☐Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐ Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _________
Dimensions (L × B × D)	______ m × ______ m × ______ m
Draft	______ m
Year of Build	______
Engine Details (if applicable)	____________________________________
Operational Area	: _______

Purpose of Application

☐ Initial Certification

☐ Renewal of Certificate No. __________

4.Special Category Endorsement:

(i). …………………………….. (e.g. Material Based)

(ii). ……………………………. (e.g. Fuel Based)

(iii). ……………………………. (e.g. autonomous/semiautonomous/others)

5. Declaration

I hereby declare that the details provided above are true and correct to the best of my knowledge, and I shall comply with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021, and the Rules made thereunder. All required safety gear, machinery, and operational conditions are in conformity with applicable standards.

Signature of Owner/Operator: ______________________

Date: ___ / ___ / 20___

Place: _________________

Form No. 3

CERTIFICATE OF FITNESS FOR SPECIAL CATEGORY VESSEL

(Issued under Section 43(2) of the Inland Vessels Act, 2021)

Certificate No.: ___________________________

Date of Issue: ___ / ___ / 20___

Valid Until: ___ / ___ / 20___

Issuing Authority: _________________________

1. Vessel Identification

Particular	Details
Name of Vessel	_____________________________________
Registration Number	_____________________________________
Owner/Operator Name & Address	_____________________________________
Hull Material	☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: _________
Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
Engine Type	☐Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐ Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _________
Type of Vessel	_____________________________________
Operational Area	_____________________________________

2. Principal Particulars

Particular	Details
Length Overall (LOA)	______ m
Breadth	______ m
Depth	______ m

Particular Details
Draft ______ m
Engine Type & Power ____________________________________
Passenger Capacity (if any) _______ persons
Cargo Capacity (if any) _______ MT

3. Safety Compliance & Load line
The vessel has been surveyed and found compliant with:

(a) Safety equipment requirements as per categorization

(b) Buoyancy and floatation adequacy

(c) Load line markings affixed and verified (☐ Yes ☐ Not Applicable)

(d) Engine and propulsion systems (where applicable)

(e) Navigational and structural safety

(f) Fire and life-saving appliances

4. Conditions of Operation (if any):
☐ Restricted to fair weather/daylight operations
☐ Maximum persons allowed: _______
☐ Max cargo load: _______ MT
☐ Operational area limited to: __________________
☐ Others: ____

5. Certification
I hereby certify that the vessel described above has been inspected and is fit for operation as a Special Category Vessel in accordance with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021 and the rules made thereunder.

Category	**Criteria**	**Details/Remarks**
(i) Material-Based	☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Other: ________	
(ii) Fuel-Based	☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐ Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _________	
(iii) Technology-Based	☐ Autonomous ☐ Semi-Autonomous ☐ Remote-Operated ☐ Other: ________	
(iv)……………		

Surveyor's Name: ___________________________
Designation: _______________________________
Signature and Seal: _________________________
Date: ___ / ___ / 20___

Note: This certificate shall be carried on board at all times. Any alteration to the structure, machinery, or configuration without prior survey and approval shall render this certificate invalid

[F. No. IWT-II-12011/6/2025-IWT-II]

P. K. Roy,Jt. Secy. (IWT-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.24 13:57:01 +05'30'